

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(विद्यम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम जंसी 30 हरसदथमीना नि. न्यायालय

नं. 222/17

सन

LR ACT

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/11/18	<p>पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10/11/18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा, दौसा</p>	
10/1/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज लगाव गइ अतिक्रमी अपेक्षित आया है न्यायाधीश में समय अतिक्रमी काय जबार पेश करे हेतु समय नाहा गया है। न्यायाधीश में समय दिया जाता है पत्रावली दिनांक 16-01-18 को पेश हो</p> <p>तहसीलदार महवा, दौसा</p>	<p>जि. न्यायाधीश</p>
16/01/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज लगाव गइ अतिक्रमी अनुपस्थित रह है अतिक्रमी पूर्व में दिनांक 10/1/18 को आया आज अतिक्रमी अनुपस्थित रह है अतिक्रमी को विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही में भलाई जारी है पत्रावली वास्तु अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/1/18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा (दौसा)</p>	
18/01/2018	<p>पत्रावली पेश हुई आज लगाव गइ अतिक्रमी उपस्थित आया है आज श्रीमान प्रो. सी. एन. आर्थवारी राज्य कार्य से बाहर दौरे पर पत्रावली पेश है पत्रावली दिनांक 25/01/18</p>	<p>जि. न्यायाधीश</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

31/1/18

फावली पेश हुई आवज लगवाई गई
अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी
की वकील अतिक्रमी राज्य अतिक्रमी से
बाहर दंडित पर पेशवाई हुई है
फावली अतिक्रमी अतिक्रमी हेतु दिनांक
1/2/18 को पेश हो।

11/2/18

फावली पेश हुई। आवज लगवाई गई।
अतिक्रमी उपस्थित आया है। फावली अतिक्रमी
अतिक्रमी हेतु दिनांक 12/2/18 को पेश हो।

द. जिन्सी

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

12/2/18

फावली पेश हुई। आवज लगवाई गई अतिक्रमी
अतिक्रमी आया। अतिक्रमी द्वारा कोई दंडित
नवत पेश नही किने गये। पेशवाई इल्का
के अतिक्रमी गये परचातवती अतिक्रमी
की फर्क व फावली व अतिक्रमी पेश की गई
नौ शामिल फावली हेतु दिनांक 19/2/18 को पेश हो।

द. जिन्सी

19/2/18

फावली पेश हुई आवज लगवाई गई
अतिक्रमी उपस्थित आया फावली अतिक्रमी
26/2/18 को पेश हो।

द. जिन्सी

26/2/18

फावली पेश हुई आवज लगवाई गई। अतिक्रमी
अतिक्रमी उपस्थित आया। अतिक्रमी से आवज। इस
अतिक्रमी है कि पेशवाई इल्का हेतु अतिक्रमी
आया नयागांव द्वारा बाहु गांव गिरवावट
अतिक्रमी के एड रिपोर्ट पेश की गई अतिक्रमी
जिला युज डरलक्षण गांव निवासी नयागांव
तहसील अतिक्रमी जिला द्वारा आया नयागांव

द. जिन्सी

फरद अहकाम

(नियम 26)

तहसील डाल मुकाम महरा

सुरहा बनाम जिल्दी झण्डर लहापानी
नयागांव

क्रिम मुकदमा LR A-144/17 सन 22/17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26-2-18	<p>अतिक्रमण कर गेहूं की फसल काहत कर अतिक्रमण किया है तथा उक्त गेहूं फुं राहें को श्रुति पर कब्जा कर लिया गया रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर अतिक्रमियों को खूब राजस्व नदिनिपन 1956 की धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी नोटिस पर उपस्थित भाच गामला गेहूं फुं राहें का है जो आवकन के लिए कामगार हेतु उपयोग में लिया जा रहा है पर अतिक्रमण किया है शहर की दक्षि राजस्व काहत कर नदिनिपन 1955 की धारा 16 में अपकर्मित श्रुति है अतिक्रमों द्वारा उक्त राहें की श्रुति पर खूब 447 रुका 1.06 में से 0.01 है पर हम्बर 2023 की गेहूं की फसल काहत कर अतिक्रमण किया जा जो वाड हुनवहि अतिक्रमों को 27/6/17 बेदखल किया गया अतिक्रमों हम्बर 2023 में फसल रकी है बेदखल काने के कार्ड की फसल रने 2024 में गेहूं की फसल काहत कर अतिक्रमण किया है जो पश्चात की अतिक्रमों है इमाने परवारी हल में खमान लिए गये परवारी ने बलाया कि अतिक्रमों जिल्दी मुज हसहाप जाते कीना जिनाली नयागांव तहसील महरा जिला डाल कार कार अतिक्रमण का भाडे है जिलको पूर्व में बेदखल</p>	

६

26/2/18

करने उपरान्त भी अतिक्रमों ने इस वर्ष 2017 में फसल रबी गेहूँ की कاشت कर अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमों पर चार कर्मी अतिक्रमों की फौजों में आता है कुल में 0.50 रकबा राजस्व का कशत कारो अचिनित 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत अपवर्जित 72 में है। हमने पत्रावली का आवलोकन किया गया तथा इस निदर्य पर पंहुंचे की अतिक्रमों का प्रशनगत भूक्ति पट कोई अधिकार व टाइटल सिट्टु नही होता है वह एक अतिक्रमों को ही सीपत राखता है। अतिक्रमों को बार बार अतिक्रमण करने को प्रवृत्ति पर कंकुश लगाना अनिवार्य है यदि अतिक्रमों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नही की गई तो अतिक्रमों को अतिक्रमण करने का प्रहोत्साह मिलेगा अतः अतिक्रमों को अतिक्रमण बुरा रहनेसे वेदखल किया जाता है तथा राजस्व लगाने का 50 गुना 22 रु की इतली आरोफिट की जाती है इसके साथ ही अतिक्रमों पर चार कर्मी की आ होने पर एक माह 30 दिवस के सिविल कारनाम से दण्डित किया जाता है याना अधिकारी भ्रष्टा को अतिक्रमों की सीपुत्र हरसहाय जाति की जा किराली नयागं व भ्रष्ट भ्रष्टा जिला दौल का कारंट गिरफ्तारी जारी हो। T R A दामा को भोग कायमी हेतु तथा भू अतिक्रम निरीसक तथा पंठवारी हलका भ्रष्टा को अतिक्रमों को वेदखल करने व फसल निलामी हेतु लिया जावे। पत्रावली बाक वरुमील फसल शुमार होकर वरुमील से बाक हो निर्णय लुले न्यायालय में सुनाया गया।

61
22 वरुमील
वर्ष 2017-18
8/3/18

सहसीलदार